ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

ामा नं0 46/2016 रामकिशन (वादी) बनाम राजवाला वगैरा (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11

राजवाला पत्नि शिवचरन जाति नाई पवनकुन्ज कोलोनी कामां

-मुरारीलाल

-मोहनश्याम

-ओमप्रकाश पुत्रान मुन्शीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामगढ तहसील होडल जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

5-तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

6-प्रबन्धक स्टेट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कामां

प्रार्थीगण

रामकिशन पुत्र दरयाव सिंह जाति गूजर निवासी धमारी तहसील डीग जिला भरतपुर

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण

1-मुरारीलाल सक्सेना

2-विष्णु कुमार शर्मा

3-वासुदेव सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थी

1-फूलचन्द गुप्ता

निर्णय

दिनांक: 15.03.2021

पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकार उपस्थित आये । प्रार्थी (प्रतिवादीगण) अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र रजिस्ट्रर्ड वयनामा दिनांक 19.7.2000 को प्रभावहीन, अस्तित्वहीन व शून्य घोषित कराने से सम्बन्धित है । जो लिमिटेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवधि पर होने के कारण भी वाद पत्र सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व ही निरस्त किये जाने योग्य है । वाद पत्र रजिस्ट्रर्ड वयनामा दिनांक 19.7.2000 एवं 17.6.2004 के शून्य एव निष्प्रभावी, अस्तित्वहीन घोषित कराने बावत होने के कारण भी इसे सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है । राजस्व न्यायालय की श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है । अतः वाद विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है । वादी ने अपने वाद पत्र के साथ म्याद बाहर होने की अवधि को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र भी सलग्न नहीं किया है । जो कि न्यायालय का विचारणीय विन्दु है । खसरा नम्बर 5368/2.45 हैक्ट0 कस्बा कामां नं0 3 से सम्बन्धित है जिस पर की प्रार्थी (प्रतिवादीगण) का काबिज है ।

अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जबाव पेश कर निवेदन किया कि दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि जिसमें यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थी (वादी) ने अपने 1/10 हिस्से को दिनांक 19.7.2000 को प्रतिवादी नं0 2 लगा 04 को बेचान नहीं किया । बयानामा पर किसी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

...अंकित के हस्ताक्षर करा लिये हैं एवं फोटो भी वादी का नहीं है । ...
... बयनामा न कराने का कथन कर रहा है । इसलिए बयनामा प्रमाणित ...
... है । वादी ने प्रतिवादी नं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन कराने ...
...दार घोषित कराने की प्रार्थना की है । और इस दादरसी को न्यायालय श्रीमान ...
...न कर क्षेत्र अधिकार है । जब वादी ने बयनामा ही नहीं कराया है और ना ही ...
...रसी की प्रार्थना की है इसलिए ऐसी स्थिति में कथित बयनामा निरस्त कराना आवश्यक
...ही है और बयनामा को उपेक्षित करते हुए न्यायालय श्रीमान साक्ष्य के आधार पर निर्णय
...रने में सक्षम है । इसके अलावा प्रतिवादी नम्बर 1 ने जबाव दावा भी पेश कर दिया है।
...सलिए मामला तनकी तलब हो गया है । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में केवल दावा के
अभिवचन देखे जाते हैं । और दावा के अभिवचनों के अनुसार न्यायालय श्रीमान को सुनने का
क्षेत्र अधिकार प्राप्त है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा दीवानी मय खर्चा के
खारिज फरमाया जावे ।

पक्षकार अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर पेश की

1- c.c.c 2016 (1page 82) para 6, 12' 13'(Limitation)

2- c.c.c 2016 (1)Rajasthan page 156 (Limitation) para 6, 12, 13, (D.B) para 6 t0 8 (Limitation)

3- c.c.c 2016 (1) H.P.page 47) para3, 7 (Maintainabity)

4- c.c.c 2017(1)U.KH.page 135) para11,14, 18 (Maintainabity)

5-Air 2020 NOC 921 (mad) Maintainabity

अप्रार्थी (वादी)वकील ने बहस में जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया तथा निम्न नजीर पेश की

1- c.c.c 2012 page 462 Nanu ram sharma & Anr V/SAdditional district judge (Fast Track) n02 Jaipur & other

2- RRD 1998sukhpalsinghV/S sate of Raj.& ors-184 sub cluse(B)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी । निष्कर्ष यह है कि वादी (अप्रार्थी) द्वारा विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा का दावा पेश किया । वादी (अप्रार्थी) द्वारा फर्जी वयनामे के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हिस्सेदारी का कलमजन कर अपने हकों की घोषणा चाही है । चूंकि पंजीकृत वयनामे को निरस्त नहीं करवाये जाने तक वयनामे को कूटरचित एवं फर्जी इस न्यायालय द्वारा नहीं माना जा सकता है । एवं वयनामे की वैद्यता एवं कूटरचित होने के आधार पर निरस्त करने की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है ।

अतः प्रार्थी (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के आधार पर स्वीकार किया जाता है । एवं वादी द्वारा पेश वाद खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय पढ कर सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां(भरतपुर)

Scanned with CamScanner